न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी:– दिव्यराज सिंह चुण्डावत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
297/2023 प्रा0 पत्र	18.08.2023	04.03.2025

उनवान

1. श्री पुष्पजीत सिंह पिता शम्भु सिंह बोलिया, निवासी 854, बोलिया भवन, सदर बाजार पुर तहसील व जिला भीलवाडा (राज0)

–– प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती कवंरी पत्नी छीतर गुर्जर निवासी गुन्दली तह. व जिला भीलवाडा मृतक **(डिलीट)**
2. श्री गोपी पिता छीतर गुर्जर निवासी गुन्दली तहसील व जिला भीलवाडा।
3. श्री नानु पिता छीतर गुर्जर निवासी गुन्दली तहसील व जिला भीलवाडा। मृतक **(डिलीट)**
4. श्री मोहन पिता छीतर गुर्जर निवासी गुन्दली तहसील व जिला भीलवाडा।
5. श्री राजु पिता छीतर गुर्जर निवासी गुन्दली तहसील व जिला भीलवाडा।
6. श्रीमती राजी पत्नी माधू गुर्जर, निवासी गुन्दली तहसील व जिला भीलवाडा।
7. शाखा प्रबन्धक, बडौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाडा।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा (राज०)

–– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1–अधिवक्ता प्रार्थी श्री श्रवण कुमार सेन, उपस्थित।

2–विपक्षीगण संख्या 02 व 04 से लगायत 07 अनुपस्थित।

3– विपक्षी संख्या 08 पैरोकार सरकार उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के स्वामित्व, आधिपत्य एव खातेदारी अधिकारों की आराजी संख्या 1000 रकबा 1.7071 हैक्टेयर भूमि ग्राम गुन्दली प०ह० गुन्दली भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पांसल तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाडा (राज०) में स्थित है जो कि वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड है, प्रार्थी को अपनी आराजी सख्या 1000 में काश्त करने हेतु आने–जाने, बुआई हेतु ट्रेक्टर, संज, बैल व पैदल आने–जाने एवं फसल काश्त करने एवं अवेरने हेतु रेकॉर्डेड रास्ता मुख्य रास्ता से होते हुऐ ग्राम गुन्दली प०ह० गुन्दली भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पांसल तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाडा (राज०) में स्थित विपक्षीगण की आराजी नम्बर 1013 की की पश्चिमी दिशा की मेड के सहारे सहारे होते हुऐ प्रार्थी अपनी आराजी संख्या 1000 में आया जा सकता है. जो कि 16 फीट चौड़ाई का है तथा आराजी संख्या 1013 वर्तमान में विपक्षी संख्या 01 से लगायत 06 के नाम दर्ज रेकॉर्ड है तथा विपक्षी संख्या 07 के यहाँ रहन है तथा उक्त रास्ता को प्रार्थी द्वारा उपयोग उपभोग किया जा रहा है लेकिन मुख्य रास्ता एवं प्रार्थी की भूमि के मध्य विपक्षी संख्या 01 से लगायत 06 की भूमि है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

जिसमें विपक्षीगण प्रार्थी को रास्ता नही देना चाहते है व इसलिए मुझ प्रार्थी को विपक्षीगण की आराजी सख्या 1013 में से रास्ता दिया जाकर उपरोक्त अनुसार अत्यन्त आवश्यकता का रास्ता है तथा उक्त रास्ते से ही अन्य खातेदार भी अपनी आराजी में आते-जाते है लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज नहीं है तथा प्रस्तावित रास्ते के अलावा प्रार्थीया को अपनी आराजी में आने जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है एवं निकटतम रास्ता भी यही है इसलिए मुझा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर मुझा प्रार्थीया को अपनी आराजी सख्या 1000 में आवागमन हेतु विपक्षीगण की आराजी सख्या 1013 की पश्चिमी दिशा की मेड के सहारे सहारे 16 फीट चौडाई के रास्ते को, रास्ते के रूप में कायम करने की स्वीकृति प्रदान कराई जावें।

अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के स्वामित्व, आधिपत्य एवं खातेदारी अधिकारो की भूमि ग्राम गुन्दली प०ह० गुन्दली भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुन्दली तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०) में स्थित आराजी संख्या 1000 रकबा 1.7071 हैक्टेयर भूमि में आवागमन एवं कृषि यंत्र व कृषि उपज लाने ले जाने हेतु विपक्षीगण की आराजी संख्या 1013 रकबा 1.4668 हैक्टेयर भूमि की पश्चिमी दिशा की मेड के सहारे सहारे 16 फीट चौडाई के रास्ते को, रास्ते के रूप में कायम करा, उक्त रास्ते को राजस्व रेकॉर्ड में अलग से खाता कायम करा, नक्शे में भी तरमीम कराये जाने का आदेश प्रदान करावें, इस हेतु प्रार्थी, सरकार द्वारा निधारित मुआवजे की राशी का भुगतान करने के लिए सदैव से तैयार है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र रजिस्टर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये विपक्षी संख्या 02 व 04 से लगायत 07 अनुपस्थित। तहसीलदार भीलवाडा ने अपने पत्र क्रमांक 615 दिनांक 18.11.2024 से रास्तें का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें अंकित किया है कि मौके पर वादी पुष्पजीत पिता शम्भु सिंह बोलिया उपस्थित मिला। प्रतिवादीगण ने सूचना पत्र अनुसार उपस्थित होने से इन्कार किया तथा मौके उपस्थित नहीं हुये। वादी के द्वारा चाहा गया रास्ता ग्राम गुन्दली के आराजी नम्बर 1013 से जो कि ग्राम गुन्दली से बांसडा की और जाने वाली पक्की सडक से लगती हुई स्थित है। मौके पर अवलोकन किया गया। वादी के खेत पर जाने का कोई अन्य पहूँच मार्ग नहीं पाया गया। आराजी नम्बर 1013 पर पत्थर की कच्ची दीवार बनी हुई है। वादी ने बताया कि वह आराजी नम्बर 1013 की पश्चिमी मेड के सहारे 16.50 फीट चौडा रास्ता अपनी कृषि आराजी नम्बर 1000 में आने-जाने हेतु चाहता है। प्रस्तावित रास्ता का रकबा 0.1012 हैक्टेयर बनता है। प्रस्तावित रास्तें की लम्बाई X चौडाई 660 X 16.5 वर्गफीट बनती है। प्रतिवादीगण में कंवरी पत्नी छीतर एवं नानु पिता छीतर गुर्जर की मृत्यु हो चुकी है। प्रस्तावित रास्तें को लाल स्याही से अंकित किया गया है। विपक्षी संख्या 01 से लगायत 06 की आराजी नम्बर 1013 में से की लम्बाई X चौडाई 660 X 16.5 वर्गफीट रास्ता देने पर 0.1012 हैक्टयर भूमि रास्तें हेतु प्रस्तावित की गई है। प्रस्तावित भूमि की डी0एल0सी0 दर 4,63,039 /- रूपये की दो गुणा राशि प्रस्तावित क्षेत्रफल की 93,719 /- डी0एल0सी0 की प्रति संलग्न की है। विपक्षीगण को जारी नोटिस की प्रति संलग्न है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

तहसीलदार भीलवाडा की रिपोर्ट अनुसार विपक्षी संख्या 01 व 03 की मृत्यु हो जाने से इनका नाम विलोपित किया जाता है। विपक्षी संख्या 02 व 04 से लगायत 06 उपस्थित नहीं है। इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए आर0टी0ए0 का स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव्

–:: आदेश ::–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर निर्णय दिया जाता है कि ग्राम गुन्दली प०ह० गुन्दली भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पांसल तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाडा में आराजी नम्बर 1000 में आने जाने हेतु विपक्षी संख्या 02 व 04 से लगायत 06 की आराजी नम्बर 1013 रकबा 1.4668 हैक्टैयर किस्म गे0मु0नाडी 0.0126 हैक्टेयर एवं बरानी–ııı 1.4542 में से किस्म गे0मु0नाडी 0.0126 को छोडकर बारानी–ııı 1.4542 हैक्टेयर में से 0.1012 हैक्टयर भूमि सार्वजनिक रास्ते हुत स्वीकृत किया जाता है। उक्त आराजी की वर्तमान डी.एल.सी.दर राशि– 4,63,039 /– रूपये की दो गुणा राशि प्रस्तावित क्षैत्रफल की 93,719 /– रूपये बनती है जो विपक्षी संख्या 01–मृतक के विधिक वारिस को एवं विपक्षी संख्या 03–मृतक के विधिक वारिस को एवं विपक्षी संख्या 02 व 04 से लगायत 06 को देय है को जरिये प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 02 व 04 से लगायत 06 के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट तहसीलदार भीलवाडा के समक्ष आवेदन के साथ पेश करने की अवस्था में उक्त राशि अदायगी हेतु तीस योम की अवधि का नोटिस जारी करे उक्त नोटिस की प्राप्ति के पश्चात अर्थात 30 दिवस की अवधि के भीतर भीतर विपक्षी उक्त रकम का डिमाण्ड ड्राफ़्ट तहसीलदार भीलवाडा के प्राप्त करने हेतु जरिये आवेदन उपस्थित नही होता है तो ऐसी स्थिति में अविलम्ब उक्त बिलानाम गैर मुमकिन सार्वजनिक रास्ता राजस्व अभिलेख व हॉल नक्शा ट्रेस में अमल दरामद करे। इस रास्ते पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नही रहेगा केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी हो। नक्शा ट्रेस निर्णय का पार्ट रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 04.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा